बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 83 ● नई दिल्ली ● वीरवार 08 जनवरी 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

दिल्ली ने आधी रात को पत्थरबाजों को दिया संदेश- कानून का पहिया रुकेगा नहीं और पत्थरबाजी से अवैध कब्जा बचेगा नहीं

नई दिल्ली ।

अतिक्रमणकारियों को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से एक कड़ा और बड़ा संदेश गया है। हम आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम के 32 बुलडोजर धड़धड़ाते हुए अतिक्रमण वाले इलाके में पहुँचे और अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला दिया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने पथराव किया जिसके चलते पुलिस को सख्ती करनी पड़ी। हम आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर दिल्ली नगर निगम का दस्ता अतिक्रमण हटाने के लिए पहुँचा था लेकिन अतिक्रमणकारियों ने पथराव कर दिया जिसमें पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए।

स्थिति यह हो गयी कि हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। हालांकि बाद में स्थिति सामान्य कर दी गयी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने अब तक 10 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। हम आपको बता दें कि पुलिस उपायुक्त (मध्य) निधिन वलसन ने कहा है कि एमसीडी को छह और सात जनवरी की दरमियानी रात को अतिक्रमण अभियान को अंजाम देना था, जिसके मद्देनजर पुलिस कर्मियों को उन स्थानों पर तैनात किया गया था लेकिन एमसीडी का साजो सामान पहुंचने से पहले ही वहां लगभग 100-150 लोग इकट्ठा हो गए। अधिकारी ने बताया कि अदालत ने फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास स्थित एक 'बैंक्वेट हॉल' और एक औषधालय को अतिक्रमण घोषित किया था और इन्हें ही ढहाया जाना था। पुलिस ने बताया कि यह जमीन एमसीडी की है और उसने प्रस्तावित विध्वंस के बारे में पुलिस को पहले ही सूचित कर दिया था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बल की तैनाती की मांग की थी। उन्होंने कहा कि कार्रवाई से पहले स्थानीय लोगों को बताया गया कि यह कानूनी कदम है और इसके खिलाफ अपील का रास्ता खुला है। पुलिस के मुताबिक भीड़ के एक छोटे समूह ने उकसावे में आकर पथराव किया। जवाब में न्यूनतम बल का प्रयोग किया गया।

घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता दी गयी। साथ ही दिल्ली पुलिस ने बताया है कि सीसीटीवी और ड्रोन फुटेज के आधार पर पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हम आपको यह भी बता दें कि एमसीडी के उपायुक्त विवेक कुमार ने कहा है कि यह विध्वंस अभियान उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में संचालित किया गया था, जिसके दौरान लगभग 36,000 वर्ग फुट अतिक्रमित क्षेत्र को खाली कराया गया। एमसीडी उपायुक्त विवेक कुमार ने बताया कि खाली कराए गए क्षेत्र में एक निदान केंद्र, एक विवाह हॉल और दो दोमंजिला चारदीवारी शामिल थीं। उन्होंने बताया कि ढहाने का काम पूरी रात जारी रहा। उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर अब भी इतना मलबा पड़ा है जिससे लगभग 200 से 250 वाहन भरे जा सकते हैं और इसे सफाई अभियान के तहत हटाया जाएगा। विवेक कुमार ने स्पष्ट किया कि इस अभियान के दौरान मस्जिद को कोई क्षति नहीं पहुंची। उन्होंने कहा कि संरचनाओं को गिराने में समय लगा क्योंकि वे बेहद मजबूत थीं और उनकी दीवारें लगभग नौ इंच मोटी थीं। देखा जाये तो इस कार्रवाई से साफ है कि जो लोग अदालत के आदेश को चुनौती देने के लिए पत्थर उठाते हैं वे लोकतंत्र नहीं अराजकता की भाषा बोलते हैं। नगर निगम की यह कार्रवाई किसी समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि अवैध कब्जे के खिलाफ थी।

जमीन सरकारी थी, आदेश न्यायालय का था और जिम्मेदारी प्रशासन की थी। इसके बावजूद कुछ लोग भीड़ जुटाकर हिंसा पर उतर आए। यह सीधे सीधे कानून के शासन पर हमला है। सवाल साफ है। क्या सरकारी जमीन पर कब्जा कर उसे आस्था की आड़ में बचाया जा सकता है। दिल्ली नगर निगम ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। उसने किसी धार्मिक संरचना को हाथ नहीं लगाया बल्कि अवैध निर्माण हटाए। इसके बाद भी पुलिस पर पत्थर बरसाए गए। यह विरोध नहीं अपराध है। जो लोग घायल पुलिसकर्मियों पर चुप हैं वे बताएं कि ड्यूटी पर तैनात जवान की सुरक्षा का जिम्मेदार कौन है। कानून व्यवस्था संभालने वालों हाथों पर पत्थर चलाना किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे तत्व समाज के दुश्मन है और इनके साथ सख्ती ही एकमात्र इलाज है। देखा जाये तो दिल्ली नगर निगम और पुलिस ने संयम दिखाया। न्यूनतम बल प्रयोग किया। हालात संभाले और संदेश साफ दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं। अब वक्त है कि अतिक्रमणकारियों और पत्थरबाजों को यह समझा दिया जाए कि सरकारी जमीन कोई विरासत नहीं और अदालत का आदेश मजाक नहीं। अगर व्यवस्था को चुनौती दी जाएगी तो जवाब भी उसी दृढ़ता से मिलेगा। यह कार्रवाई सही थी, जरूरी थी और आगे भी जारी रहनी चाहिए। कानून का पहिया रुकेगा नहीं और पत्थरबाजी से अवैध कब्जा बचेगा नहीं।

सीएम रेखा गुप्ता 11 जनवरी को युवाओं से करेंगी लंच पे चर्चा, कौन और कैसे हो सकते हैं शामिल?

नई दिल्ली।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 11 जनवरी को लंच पे चर्चा कार्यक्रम के तहत युवाओं से बातचीत करेंगी। इस बातचीत के दौरान, वह पिछले 11 सालों में राजधानी के सामने आई समस्याओं पर चर्चा करेंगी और अपनी सरकार द्वारा किए गए कामों की समीक्षा भी करेंगी। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट के ज़रिए युवाओं को इस चर्चा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। कार्यक्रम का दिन, 12 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चूंकि इससे एक दिन पहले रविवार की छुट्टी है, इसलिए युवाओं की सुविधा के लिए लंच इसी दिन आयोजित किया जा रहा है। अपने पोस्ट के साथ शेयर किए गए एक वीडियो में, मुख्यमंत्री ने बताया कि चर्चा में पिछले 11 सालों की समस्याओं की समीक्षा के साथ-साथ फरवरी 2025 में सरकार बनने के बाद पिछले 11 महीनों में उनकी सरकार के प्रदर्शन पर भी बात होगी। उन्होंने कहा कि वे इस बात पर भी

चर्चा करेंगे कि युवाओं से मिले सुझावों को समस्याओं को हल करने के लिए ठोस कामों में कैसे बदला जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर कोई समस्याओं की बात करता है, लेकिन समाधान मायने रखते हैं। उन्होंने युवाओं से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मैसेज और कमेंट के जरिए उनसे जुड़ने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले लंच पे चर्चा कार्यक्रम के लिए 15 से 20 युवाओं को चुना जाएगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी ऐसे बातचीत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसका मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन 2047 के अनुसार दिल्ली का विकास करना है।

लंच पे चर्चा कार्यक्रम क्या है?

यह दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा शुरू किया गया एक संवाद कार्यक्रम है।

इसका उद्देश्य युवाओं से सीधे मिलकर दिल्ली की समस्याओं, पिछले 11 वर्षों की चुनौतियों और अपनी सरकार के 11 महीनों के काम की समीक्षा करना है।

युवाओं के सुझावों को ठोस कार्यों में बदलने पर फोकस।

कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन 2047 के अनुरूप दिल्ली के विकास से जुड़ा है।

पहला कार्यक्रम 11 जनवरी 2026 को लंच के दौरान आयोजित किया गया (राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी से एक दिन पहले, युवाओं की सुविधा के लिए)।

भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

कैसे शामिल हो सकते हैं?

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (ट्विटर) पर पोस्ट के माध्यम से युवाओं को आमंत्रित किया।

इच्छुक युवा अपने मैसेज या कमेंट मुख्यमंत्री के एक्स अकाउंट पर भेज सकते हैं।

पहले कार्यक्रम के लिए 15-20 युवाओं को चुना गया।

चयनित युवाओं को लंच पर आमंत्रित कर खुली चर्चा में शामिल किया जाता है।

आगे के कार्यक्रमों के लिए भी इसी तरह एक्स पर अपडेट और आमंत्रण जारी होंगे।

यशवंत वर्मा की याचिका तथ्यहीन...लोकसभा सचिवालय ने सुप्रीम कोर्ट में क्यों कहा ऐसा

नई दिल्ली। लोकसभा सचिव जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका खारिज करने की मांग की है. सचिवालय ने कहा कि यह याचिका गलत तथ्यों पर आधारित है और स्पीकर द्वारा जांच समिति के गठन के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट सवाल नहीं उठा सकता क्योंकि यह संसद के भीतर की कार्यवाही के दायरे में आता है. जवाब में कहा गया कि जजेज इन्क्वायरी एक्ट, 1968 की धारा 3 केवल उसी स्थिति में लागू होती है, जब महाभियोग प्रस्ताव दोनों सदनों में स्वीकार किया जाए. सचिवालय ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी सांसद ने 11 अगस्त 2025 के उस आदेश को चुनौती नहीं दी है, जिसमें रायसभा के उपसभापति ने महाभियोग प्रस्ताव स्वीकार करने से इनकार किया था. इसलिए वह निर्णय अंतिम है. 62 सांसदों द्वारा लाया गया रायसभा का प्रस्ताव कभी स्वीकार ही नहीं किया गया. उपसभापति ने 11 अगस्त 2025 को लिखित आदेश के जरिए उसे खारिज कर दिया था, जिससे केवल लोकसभा का प्रस्ताव ही वैध बचता है. जस्टिस वर्मा के इस आरोप को भी खारिज किया गया कि स्पीकर ने CJI की इन-हाउस कमेटी रिपोर्ट पर भरोसा किया. सचिवालय के अनुसार, सांसदों ने स्वतंत्र रूप से राय बनाई, जबकि स्पीकर ने केवल प्रस्ताव की सामग्री को रिकॉर्ड किया. जस्टिस दत्ता ने कहा कि नियमों के मुताबिक प्रोविज़ो को सेक्शन के हिस्से के तौर पर पढ़ा जाना चाहिए. इसमें कहा गया है कि कोई जॉइंट कमेटी नहीं बन सकती जब तक कि दोनों सदनों में प्रस्ताव मंजूर न हो जाए. अगर मंजूर नहीं होता, तो इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है. इसलिए इसे विधायिका के इरादे के हिसाब से पढ़ना होगा. रोहतगी ने कहा कि रायसभा के चेयरमैन इस्तीफा दे चुके थे, ऐसे में डिप्टी चेयरमैन सिर्फ सदन को नियंत्रित करने के लिए थे. वे इस प्रस्ताव को खारिज नहीं कर सकते थे. जस्टिस दत्ता ने कहा कि चेयरमैन मौजूद नहीं थे, इसलिए डिप्टी चेयरमैन ने यह काम संभाला और प्रस्ताव को खारिज कर दिया.

कब काट ले, कोई नहीं जानता — आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्य सरकारों को दी चेतावनी

नई दिल्ली । देशभर में बढ़ते आवारा कुत्तों के खतरे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक बार फिर कड़ा रुख दिखाया। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि किसी कुत्ते के व्यवहार का पहले से अनुमान लगाना संभव नहीं है और यह कहना गलत होगा कि कब कौन हमला कर देगा, यह समझा जा सकता है। इसी आधार पर कोर्ट ने नियमों के पालन में ढिलाई बरतने वाले राज्यों को चेतावनी दी कि यदि उन्होंने जवाब नहीं दिया तो उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। यह सुनवाई न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ के समक्ष हुई। कोर्ट ने दोहराया कि उसका उद्देश्य कोई नया कानून बनाना नहीं, बल्कि यह देखना है कि पहले से बने नियमों और आदेशों का सही तरीके से पालन हो रहा है या नहीं। न्यायमूर्ति मेहता ने स्पष्ट कहा कि अब तक कई राज्यों ने न तो संतोषजनक जवाब दिया है और न ही जमीनी स्तर पर काम किया है। इससे पहले दिए गए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने संस्थागत परिसरों से आवारा कुत्तों को हटाकर उनकी नसबंदी और टीकाकरण कराने के बाद उन्हें उपयुक्त आश्रयों में रखने के निर्देश दिए थे। अदालत ने माना कि इस व्यवस्था का सही क्रियान्वयन नहीं हो पाया है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राजस्थान का उदाहरण देते हुए एक गंभीर टिप्पणी भी की। अदालत ने बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट के दो न्यायाधीश सड़क दुर्घटना का शिकार हुए हैं, जिनमें से एक अब भी रीढ़ की हड्डी की गंभीर चोट से जूझ रहे हैं। इस संदर्भ को कोर्ट की ओर से बेहद गंभीर संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह दोनों पक्षों की बात पूरी तरह सुनना चाहती है। पीठ ने कहा कि पहले पीड़ितों की बात सुनी जाएगी, उसके बाद पशु प्रेमियों को अपनी दलीलें रखने का पूरा अवसर मिलेगा, ताकि किसी को यह शिकायत न रहे कि उसकी आवाज दबाई गई। डॉग लवर्स की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत में तर्क रखा कि सभी आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखना न तो व्यावहारिक है और न ही आर्थिक रूप से संभव।

उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था कुत्तों और इंसानों, दोनों के लिए जोखिम भरी हो सकती है। सिब्बल ने जोर देकर कहा कि समस्या का समाधान वैज्ञानिक और संतुलित तरीके से ही निकल सकता है, लेकिन असली दिक्कत यह है कि मौजूदा कानूनों का पालन नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि आवारा कुत्तों से केवल रेबीज का खतरा ही नहीं बढ़ता, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी कई गुना बढ़ जाती है। कोर्ट का मानना है कि जब तक राज्य अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से नहीं निभाएंगे, तब तक यह समस्या और विकराल होती जाएगी।

तुर्कमान गेट इलाके में अतिक्रमण हटाने को लेकर हुई हिंसा पर बोले आशीष सूद- हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी

नई दिल्ली । दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने बुधवार को कहा कि तुर्कमान गेट इलाके में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान पथराव की घटना ''दुर्भाग्यपूर्ण थी। उन्होंने चेतावनी दी कि हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकारी मस्जिद और पास के कब्रिस्तान से सटी जमीन पर अदालत के आदेशानुसार तोड़फोड़ की कार्रवाई कर रहे थे और इसी दौरान कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया और कांच की बोतलें फेंकी जिससे कम से कम पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पांच लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। सूद ने कहा कि मस्जिद के आसपास कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठान अवैध रूप से बनाए गए थे, जिनके खिलाफ अदालत के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा, कानून के दायरे में किए जा रहे काम में बाधा डालना या उसे बाधित करना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि ''कुछ अपराधी और उपद्रवी तत्वों ने प्रदर्शन और हिंसा का सहारा लिया

जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि इस घटना में शामिल व्यक्तियों की पहचान कर ली गई है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है तथा अब तक इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सूद ने कहा, ''मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि फैज-ए-इलाही मस्जिद पूरी तरह सुरक्षित है। यह कार्रवाई केवल उन अवैध व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तक सीमित है जो न्यायालय के आदेशों के दायरे में आते हैं। इस मामले में सरकार की ओर से कोई मनमानी नहीं की गई या उसका कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं है। मंत्री ने जनता से किसी भी प्रकार के उकसावे में न आने की अपील की। उन्होंने कहा कि उकसावे में आकर कानून अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनता से असामाजिक तत्वों की पहचान करने में प्रशासन का सहयोग करने और आपसी सद्भाव और शांति बनाए रखने में मदद करने का आग्रह किया। एमसीडी के उपायुक्त विवेक कुमार ने स्पष्ट किया कि अभियान के दौरान मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उन्होंने बताया कि यह विध्वंस अभियान उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में चलाया गया और इस दौरान 36,000 वर्ग फुट क्षेत्र को खाली कराया गया।

वाकू मारकर लूट का प्रयास करने वाला बदमाश गिरफ्तार, बात-बात बनी युवक की जान

दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में तिगड़ी थाने की टीम ने चाकू मारकर युवक से लूट का प्रयास करने वाले बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी राहुल जेजे कैंप तिगड़ी का रहने वाला है और क्षेत्र का घोषित बदमाश है। इस पर हत्या के प्रयास समेत पांच आपराधिक मामले दर्ज हैं। इलाके में चाकू की नोक पर लोगों से पैसे मांगता है। युवक से भी उसने पैसे मांगे थे, मना करने पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया था। पुलिस के मुताबिक, दो जनवरी को जेजे कैंप तिगड़ी में चाकूबाजी को लेकर पीसीआर कॉल आई। फोन करने वाले ने बताया कि गली में बाइक से जाने के दौरान एक लड़के ने मेरे पैर में चाकू मारा है, खून नहीं रुक रहा है। टीम के मौके पर पहुंचने से पहले शिकायतकर्ता घायल अमन कुमार को लोगों ने अस्पताल पहुंचाया।

अमेरिकी वर्चस्व,वेनेजुएला संकट और भारत पर दबाव की राजनीति

वैश्विक स्तरपर 21वीं सदी के तीसरे दशक में विश्व एक ऐसे दौर से गुजर रहा है,जहाँ अंतरराष्ट्रीय कानून संप्रभुता और बहुध्रुवीय व्यवस्था की अवधारणाएँ बार- बार शक्तिशाली देशों की रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं के सामने कमजोर पड़ती दिख रही हैं।अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कथित रूप से बंधक बनाए जाने की घटना उसके बाद वेनेजुएला में शांति तक अमेरिकी नियंत्रण की घोषणा और समानांतर रूप से भारत को रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर दी गई खुली धमकी ये तीनों घटनाएँ मिलकर वैश्विक राजनीति में एक गंभीर प्रश्न खड़ा करती है- क्या दुनियाँ फिर से शक्ति ही न्याय है के सिद्धांत की ओर लौट रही है? ट्रंप का बयान आया कि यह कदम मुझे खुश करने के लिए उठाया गया-यह कूटनीतिक संकेत या मनो वैज्ञानिक दबाव यह बयानबाजी अमेरिकी राजनीति की उस शैली को दर्शाती है, जिसमें अस्पष्टता को भी रणनीति बनाया जाता है। यह कथन भारत सहित कई देशों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं पर्दे के पीछे कोई दबावपूर्ण सौदे तो नहीं हो रहे।जिसका खुलासा 6 जनवरी 2025 को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा एक्स पर दिया गया बयान है जिसपर हम कह सकते हैं,रिलायंस इंडस्ट्रीज और रूसी तेल- अर्थशास्त्र बनाम राजनीति हो रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा एक्स (पूर्व ट्विटर) पर दिया गया बयान कि तीन हफ्तों से रिफाइनरी में कोई भी तेल कार्गो नहीं आया है और जनवरी में किसी भी रूसी कच्चे तेल की डिलीवरी की उम्मीद नहीं है, यह वैश्विक ऊर्जा बाजार की संवेदनशीलता को उजागर करता है। यह निर्णय राजनीतिक दबाव से लिया गया या व्यावसायिक कारणों से, यह सवाल अपने- आप में गंभीर है।निजी कंपनी राष्ट्रनीति और अंतरराष्ट्रीय दबाव-रिलायंस जैसी निजी कंपनी का निर्णय केवल कॉर्पोरेट रणनीति नहीं रहता;उसका सीधा प्रभाव राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा और विदेश नीति पर पड़ता है।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि यदि कंपनियाँ अंतरराष्ट्रीय दबाव में फैसले लेने लगें, तो यह सवाल उठता है कि क्या आर्थिक संप्रभुता धीरे-धीरे कमजोर हो रही है? ट्रंप की राजनीति संस्थाओं से अधिक व्यक्ति-केंद्रित रही है। उनके बयानों में अक्सर विदेश नीति व्यक्तिगत पसंद-नापसंद से संचालित होती दिखती है। यह स्थिति वैश्विक स्थिरता के लिए खतरनाक है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संबंध किसी एक व्यक्ति के मूड पर निर्भर नहीं हो सकते। साथियों बात अगर हम वेनेजुएला संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारत को यह धमकी देना कि यदि उसने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो भारतीय सामानों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाएंगे,इसको समझने की करें तो भारत की ऊर्जा संप्रभुता पर सीधा हमला है। भारत अपनी 85 प्रतिशत से अधिक कच्चे तेल की जरूरत आयात से पूरी करता है। ऐसे में सस्ता रूसी तेल न केवल आर्थिक विवशता है,बल्कि घरेलू महंगाई नियंत्रित रखने का भी अनिवार्य साधन है।क्याभारत से स्वतंत्र विदेश नीति छोड़ने की अपेक्षा है?यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या अमेरिका भारत को केवल एक रणनीतिक साझेदार नहीं,बल्कि एक आज्ञाकारी सहयोगी के रूप में देखना चाहता है? यदि भारत से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी ऊर्जा नीति,व्यापार नीति और कूटनीति अमेरिका के निर्देशों के अनुसार तय करे, तो यह भारत की गुटनिरपेक्ष परंपरा और रणनीतिक स्वायत्तता के बिल्कुल विपरीत है।एकतरफा टैरिफ लगाने की धमकी विश्व व्यापार संगठन के मूल सिद्धांतों, निष्पक्षता, बहुपक्षीयता और नियम- आधारित व्यापार को कमजोर करती है। अमेरिका पहले भी चीन, यूरोपीय संघ और अब भारत के साथ इसी हथियार का प्रयोग करता रहा है। यह वैश्विक व्यापार को नियमों से नहीं, बल्कि शक्ति संतुलन से चलाने की कोशिश है। साथियों बात अगर हम घरेलू राजनीतिमें अंतरराष्ट्रीयमुद्दों में विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका को समझने की करें तोदिल्ली के पूर्वमंत्री द्वारा इस मुद्दे पर ली गई चुटकी अब सत्ताधारी पार्टी क्या जवाब देगी? यह दर्शाती है कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति अब केवल विदेश मंत्रालय का विषय नहीं रही।

घरेलू राजनीति में भी यह प्रश्न उठने लगा है कि क्या भारत अमेरिकी दबाव में झुक रहा है, या यह महज संयोग है। राष्ट्रहित बनाम राजनीतिक लाभ-हालांकि विपक्ष का काम सवाल उठाना है,लेकिन ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर संतुलन आवश्यक है। यह प्रश्न राष्ट्रहित से जुड़ा है,क्या भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखेगा,या वैश्विक शक्ति संघर्ष में किसी एक ध्रुव के अधीन हो जाएगा? साथियों बात अगर हम दूसरी ओर यह समझने की करें कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बंधक बनाना-अंतरराष्ट्रीय कानून पर सीधा आघात तो हम पाएंगे कि,संप्रभु राष्ट्र के मुखिया की गिरफ्तारी-कूटनीति याअपहरण? अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़कर अपने नियंत्रण में लेने की घटना केवल दो देशों के बीच का विवाद नहीं है, बल्कि यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर,वियना कन्वेंशन और अंतरराष्ट्रीय संप्रभुता के मूल सिद्धांतों का सीधा उल्लंघन प्रतीत होती है। किसी भी देश के निर्वाचित राष्ट्रपति को इस प्रकार हिरासत में लेना, वह भी बिना अंतरराष्ट्रीय सहमति या संयुक्त राष्ट्र की स्वीकृति के, वैश्विक कूटनीति के इतिहास में एक खतरनाक मिसाल स्थापित करता है।शांति तक अमेरिकी कंट्रोल- लोकतंत्र की भाषा में अधिनायकवाद- अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा यह कहना कि जब तक वेनेजुएला में शांति स्थापित नहीं हो जाती, तब तक वहां अमेरिकी नियंत्रण रहेगा, औपनिवेशिक युग की मानसिकता को याद दिलाता है। यह वही तर्क है जिसका उपयोग अतीत में अफगानिस्तान, इराक और लीबिया में किया गया,जहाँ लोकतंत्र लाने के नाम पर दशकों तक अस्थिरता, गृहयुद्ध और संसाधनों की लूट होती रही।लैटिन अमेरिका में अमेरिकी हस्तक्षेप का बहुत पुराना इतिहास वेनेजुएला संकट को अलग- थलग नहीं देखा जा सकता। यह उस लंबी श्रृंखला का हिस्सा है, जिसमें अमेरिका ने लैटिन अमेरिका के देशों,चिली, क्यूबा, निकारागुआ, पनामा,में सरकारें गिराई, राष्ट्रपति बदले और आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए जनता को सजा दी। वेनेजुएला का तेल-समृद्ध होना इस पूरे प्रकरण का केंद्रीय कारण है, जिसे मानवीय चिंता की आड़ में ढका जा रहा है।

साथियों बात अगर हम वैश्विक परिदृश्य बहुध्रुवीय विश्व बनाम अमेरिकी एकाधिकार को समझने की करें तो रूस, चीन और वैश्विक दक्षिण की प्रतिक्रिया, वेनेजुएला प्रकरण और भारत को दी गई धमकी पर रूस, चीन और वैश्विक दक्षिण के देशों की नजरें टिकी हैं। यह घटनाएँ उन्हें और अधिक अमेरिका-विरोधी गुटबंदी की ओर धकेल सकती हैं, जिससे दुनिया एक बार फिर शीत युद्ध जैसी स्थिति में प्रवेश कर सकती है।भारत की ऐतिहासिक भूमिका-संतुलनकारी शक्ति- भारत अब केवल एक विकासशील देश नहीं, बल्कि उभरती वैश्विक शक्ति है। उसकी भूमिका केवल किसी एक धड़े का हिस्सा बनने की नहीं, बल्कि संतुलन बनाए रखने की है। रूस से तेल खरीदना कोई वैचारिक निर्णय नहीं, बल्कि व्यावहारिक और राष्ट्रीय हित का फैसला है।

साथियों बात अगर हम इस पूरे मामले को संवैधानिक आर्थिक वैश्विक परिपेक्ष में समझने की करें तो,संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय कानून का मूल प्रश्न वेनेजुएला के निर्वाचित राष्ट्रपति को अमेरिकी नियंत्रण में लेना अंतरराष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद-2(4) तथा राष्ट्र की संप्रभु समानता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन प्रतीत होता है। किसी भी राष्ट्र के आंतरिक राजनीतिक ढांचे में बाहरी सैन्य या प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करना आधुनिक अंतरराष्ट्रीय विधि में अवैध हस्तक्षेप की श्रेणी में आता है।भारत की संवैधानिक विदेश नीति की कसौटी भारतीय संविधान का अनुच्छेद -51 अंतरराष्ट्रीय शांति, संप्रभुता के सम्मान और स्वतंत्र विदेश नीति को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। रूस से तेल खरीदना भारत का संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि ऊर्जा नीति राष्ट्र के आर्थिक अस्तित्व से जुड़ी है। किसी बाहरी शक्ति द्वारा टैरिफ की धमकी देना अप्रत्यक्ष आर्थिक दबाव के अंतर्गत आता है।भारत अपनी 85 प्रतिशत से अधिक कच्चे तेल की आवश्यकता आयात से पूरी करता है।रूसी तेल की रियायती कीमतें भारत के लिए केवल आर्थिक लाभ नहीं,बल्कि मुद्रास्फीति नियंत्रण, राजकोषीय स्थिरता और उपभोक्ता हित से जुड़ा प्रश्न है। अमेरिका द्वारा रूस से तेल खरीदने पर आपत्ति आर्थिक नहीं, भू-राजनीतिक है।

सम्पादकीय...

किताबों से नाता जोड़ें विद्यार्थी

जेएनयू कैंपस में फिर से विवादित नारेबाजी की घटना सामने आई है जिसमें छात्रों ने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के खिलाफ नारे लगाए। यह नारेबाजी सुप्रीम कोर्ट द्वारा उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत न देने के बाद हुई है। वायरल हो रही 35 सेकंड की वीडियो में छात्र प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और अडानी के खिलाफ विरोधस्वरूप नारे लगाते सुनाई दे रहे हैं, जो अत्यंत खेद का विषय है। जब दुनिया देखती है कि आए दिन जेएनयू में कभी नरेंद्र मोदी और अमित शाह विरोधी उनकी क़ब्र खुदेगी, तो कभी सरकार विरोधी नारेबाज़ी होती है, तो कई प्रश्न मस्तिष्क में उभरते हैं। क्या जेएनयू एक मास्टर्स के पाठ्यक्रम करने का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, या वामपंथी सियासत और देश विरोधी नारों का अखाड़ा है। एक प्रश्न यह भी उठता है कि आज यह वामपंथ का अड्डा कैसे बन गया है?एक प्रश्न यह भी उठता है कि ये विद्यार्थी यहां शिक्षा ग्रहण करने आते हैं या सर फुटव्वल करने? हालांकि यहां कांग्रेसी और आरएसएस विचारधारा के विद्यार्थी भी हैं, मगर अधिकतर छात्र यहां मार्क्सवाद, लेनिनवाद आदि विचारधारा से हैं, जिसके कारण यहां आए दिन फसाद होता रहता है। किसी भी छात्र का पहला धर्म पढ़ाई करके मुल्क-ओ-मिल्लत व विश्व और मानवता का भला करना। ताज़ा वीडियो जो जेएनयू से वायरल हुआ है, उसमें यहां मोदी और अमित शाह की क़ब्रें खोदने के नारे लगाए गए हैं। यह बड़ा ही दुखदाई और वीभत्स कार्य है कि जेएनयू के छात्र उन्हीं लोगों की कब्र खोदने की बद दुआएं करें, जो उनकी शिक्षा का हर अनुदान दें। यह मोदी-अमित शाह की सरकार ही तो है, जो जेएनयू की फंडिंग करती है, अतः इनको कोसने से इन नफ़रती नारे लगाने वालों की निकृष्ट मानसिकता का पता चलता है। वास्तव में, यह सब इसलिए किया गया कि उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सांप्रदायिक दंगों में दोषी पाए गए पांच व्यक्तियों को तो जमानत दे दी, मगर शरजील इमाम और उमर खालिद को नहीं दी, क्योंकि न्यायालय के फैसले के मुताबिक़, इन दोनों के दोष दूसरों से कहीं अधिक संगीन थे। जेएनयू का उद्देश्य था उच्चस्तरीय अनुसंधान को बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय, समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर बल देना, बहुविषयक अध्ययन को प्रोत्साहित करना, विकासशील समाजों की समस्याओं पर गंभीर अकादमिक विमर्श करना आदि। यहां के प्रतिष्ठित संस्थान, जैसे, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज़, स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज़, स्कूल ऑफ एनवायरनमेंटल साइंसेज़, स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज़, स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंसेज़, अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप आदि। देश को अनेक प्रतिष्ठित राजनयिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, वैज्ञानिक, लेखक और प्रशासक दिए। यहां से फाइनेंस मंत्री सीतारमण, राय सभा सांसद, प्रो. राकेश सिन्हा आदि के अतिरिक्त भी कई महानुभाव रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में जेएनयू सामाजिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के लिए विशेष रूप से सराहा गया। किफायती शिक्षा और छात्रवृत्तियों के कारण यह विश्वविद्यालय सामाजिक रूप से समावेशी रहा। यहां वामपंथी, समाजवादी, अंबेडकरवादी, राष्ट्रवादी सभी विचारधाराओं की सक्रिय उपस्थिति रही है, मगर अब यहां देश विरोधी नारे, जैसे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, मोदी तेरी क़ब्र खुदेगी, अमित शाह तेरी क़ब्र खुदेगी आदि जैसे देश तो तोड़ने और आग लगाने वाले ज़हरीले नारे गूंजने लगे हैं। जिन लोगों को उच्चतम न्यायालय द्वारा रिहा किया गया, उन में, गुलफ़िशां फातिमा, मीरां हैदर, शिफा-उर-रहमान, मुहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद के नाम हैं। शरजील और खालिद के नाम न होने पर कई विपक्षी नेताओं ने यहां तक कह दिया कि चूंकि ये दोनों मुस्लिम हैं, इसलिए इनकी जमानत खारिज कर दी, जो अटपटा सा लगता है। भारत की विडंबना यह है कि आज़ादी के 78 वर्ष के पश्चात् भी आज कुछ हिंदू और मुसलमान ऐसे हैं, की जो सांप्रदायिकता के मकड़जाल से बाहर नहीं आ पाए हैं और हर समस्या को हिंदू-मुस्लिम के काले चश्मे से देखते हैं। कई लोगों ने तो उच्चतम न्यायालय के फैसले पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। उमर खालिद के पिता सैयद क़ुमर रसूल इलयास का मानना है कि उमर खालिद तो दंगों की जगह पर ही नहीं था और फ़िज़ूल ही उसका नाम लपेट दिया गया है। इसका फैसला तो अब एक साल या उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। सभी विद्यार्थियों को जानना चाहिए कि अपने ही देश के विरुद्ध नारे लगाना ऐसे ही है जैसे उसी डाल को काटना जहां आप बैठे हैं। प्रोटेस्ट करें, मगर संस्कारवाद और राष्ट्रवाद की सीमाएं पार न करें।

योगी सरकार की अछी पहल

देश में बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। अक्सर देखा जाता है कि भर्ती परीक्षाओं में धांधली होती है। परीक्षाएं रद्द की जाती हैं। परीक्षाओं में देरी होती है जिससे परीक्षा की तैयारी करने वाले अनेक युवाओं की उम्र सरकारी नौकरी के लिए तय आयु सीमा को पार कर जाती है और वह हताश होकर बैठ जाते हैं। व्यवस्था की गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। इस समय रोजगार क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तनों की जरूरत है और यह काम राय सरकारें ही कर सकती हैं और वह नीतिगत परिवर्तन कर राय की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को नई दिशा दे सकती है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की उपलब्धियों में एक बड़ी उपलब्धि राय में बेरोजगारी दर का कम होना शामिल है। उत्तर प्रदेश में पहले जहां बेरोजगारी दर 19 फीसदी तक पहुंच गई थी, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब यह घटकर 2.4 फीसदी रह गई है। सरकार की रोजगार नीतियां निवेश बढ़ाने के प्रयास और कौशल विकास कार्यक्रमों ने पूरे राय में सकारात्मक परिणाम दिए हैं। राय की जीसीसी नीति 2025 में 2 लाख से अधिक नई नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यूपी पुलिस भर्ती में जो अभ्यर्थी ओवर एज होने की वजह से आवेदन करने से बाहर हो गए थे उनको बड़ी सौगात दी है। राय सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पुलिस भर्ती में सभी वर्गों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रो उन्नति बोर्ड ने आरक्षी नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के तहत कुल 32679 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। इस बार अधिकतम आयु सीमा में सभी वर्गों को एक मुश्त तीन साल का शिथिलीकरण कर दिया गया है। दरअसल आयु सीमा में छूट का मसला काफी जटिल बना हुआ था। खुद सत्तारूढ़ भाजपा और योगी सरकार के सहयोगी दल आयु सीमा में छूट देने की मांग कर रहे थे। दरअसल, पिछले कुछ वर्षों में भर्तियों में लगातार देरी हुई। कोरोना काल, परीक्षा प्रक्रियाओं और प्रशासनिक कारणों से कई भर्तियां समय पर नहीं निकल पाईं। इसका सबसे यादा नुकसान उन युवाओं को हुआ जो सालों से फिजिकल ट्रेनिंग, लिखित परीक्षा और मानसिक तैयारी में लगे थे। भाजपा के कई विधायकों ने इस मुद्दे को सरकार के सामने मजबूती से उठाया। खास तौर पर देवरिया से बीजेपी विधायक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सामान्य वर्ग के युवाओं को भी उम्र में छूट देने की मांग की थी। युवा सिर्फ उम्र सीमा पार होने की वजह से भर्ती से बाहर हो गए हैं।ये वही युवा है जो सालों से पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे थे। दौड़, फिजिकल और पढ़ाई सब कुछ किया लेकिन भर्ती देर से आने के कारण उनका मौका छिन गया। उन्होंने इसे न सिर्फ युवाओं बल्कि उनके परिवारों के लिए भी बेहद दुखद बताया और मानवीय आधार पर कम से कम 3 साल की उम्र में छूट देने की मांग की थी, जिसे अब सरकार ने मान लिया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जैसे विपक्षी दल भी आयु सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे थे। सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर हजारों युवा भी अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। उनका तर्क था कि सामान्य वर्ग की आयु सीमा 18 से 22 साल रखना अन्याय है। सालों से तैयारी कर रहे छात्र अब ओवर ऐज हो रहे हैं। 2019 के बाद सिर्फ 2023 में ही मौका मिला है। पिछली 60 हजार कांस्टेबल भर्ती में परीक्षार्थियों को आयु सीमा में छूट दी गई थी। एक अभ्यर्थी ने तर्क दिया। बिहार कांस्टेबल में 18-25 वर्ष आयु है, एमपी कांस्टेबल में 18-33 वर्ष आयु है, हरियाणा कांस्टेबल में 18-25 वर्ष आयु है, परंतु यूपी पुलिस में ही 22 वर्ष की आयु में युवा बूढ़ा मान लिया जाता है। एक अन्य अभ्यर्थी ने लिखा, 'एक ही गुहार है- यूपी कांस्टेबल पीएसी भर्ती में आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाए !! यूपी पुलिस की भर्ती में सामान्य वर्ग के छात्र 22 साल में ओवर ऐज हो जाएंगे, रिजर्व कैटेगरी में आयु सीमा 27 वर्ष जा रही है। क्या कोविड से केवल आरक्षित वर्ग ही प्रभावित हुआ था? एक ने लिखा पिछले 7 सालों से पीएसी भर्ती न आने के कारण हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में है। बच्चों की सिर्फ एक ही मांग- यूपी कांस्टेबल पीएसी भर्ती में 3 साल की आयु सीमा में छूट! अंततः योगी सरकार ने आयु सीमा में सभी वर्गों को राहत दे दी है। योगी सरकार ने कांस्टेबल व जेल वार्डर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा में निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था समाप्त कर दी है। कांस्टेबल व जेल वार्डर रक्षक के पदों पर भर्ती परीक्षा में अभी तक गलत उत्तर देने पर निगेटिव मार्किंग करते हुए नंबर काटे जाने की व्यवस्था थी। कांस्टेबल पद पर भर्ती परीक्षा में सही उत्तर देने पर दो नंबर देने और गलत उत्तर पर आधा नंबर काटने की व्यवस्था थी। देश एवं समाज में लोग कानून का गम्भीरता से पालन करते हैं। इसका श्रेय पुलिस को ही जाता है। पुलिस के बगैर देश और राय के प्रशासन की सुरक्षा की कल्पना तक नहीं की जा सकती। समाज में लोग अछी तरह से कानून व्यवस्था और अनुशासन का पालन करें। पुलिस हमेशा इसकी निगरानी करती है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने का श्रेय उत्तर प्रदेश पुलिस को जाता है। यूपी पुलिस ने जिस तरह से अपराधियों, बाहुबलियों, गैंगस्टरों पर नकेल कसी है, उससे समाज विरोधी तत्व खुद को पुलिस के सामने पेश कर रहे हैं। पूर्व की सरकारों में पुलिस का राजनीतिकरण किए जाने के आरोप लगते रहे हैं और तब पुलिस थाने जाति विशेष के बंधक बने हुए नजर आते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस को फ्री हैंड दे रखा है, जिसके बेहतर परिणाम सामने आए हैं। नई पुलिस भर्ती में युवाओं को मौका मिलेगा।
नई ऊर्जा और नए जोश से पुलिस बल और मजबूत होगा।

ईरान में विद्रोह की आग क्यों भड़की ?

इस्लामिक गणराय ईरान में ताजी हवा की चाहत रखने वालों के मन में असंतोष की आग तो बड़े लंबे समय से जल रही थी लेकिन ये आग अचानक कैसे भड़क गई? क्या इस जनविद्रोह के मूल में केवल महंगाई और बेरोजगारी का मसला है? या फिर मानवाधिकारों या महिलाओं की आजादी को फौजी बूटों तले रौंदने वाली खामनेई सरकार को उखाड़ फेंकने की बड़ी योजना है? जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, पुलिस थानों पर हमले हो रहे हैं और प्रदर्शनकारियों ने सैन्य अड्डों में घुसने की कोशिश की है, वह दर्शाता है कि यह जनविद्रोह कितना प्रबल है। हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस की गोलियों से कई प्रदर्शनकारी मारे भी गए हैं। मशहद शहर से शुरू हुई आग पूरे ईरान में फैल चुकी है। 2009 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद यह पहला मौका है जब जनआक्रोश ने सत्ता को सीधी चुनौती दी है। इस बीच गौर करिए कि प्रदर्शनकारी क्या नारे लगा रहे हैं? वे सरकार की बर्खास्तगी की मांग तो कर ही रहे हैं, विदेश नीति की आलोचना भी कर रहे हैं और सरकार को अपने चंगुल में रखने वाले ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के भी नारे लगा रहे हैं। ये वही खामनेई हैं जो बार-बार अमेरिका को चेतावनी देते रहते हैं। तो, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बयान पर भी गौर करिए, ट्रम्प कह रहे हैं- महान ईरानी लोगों को कई वर्षों से दबाया गया है। वहां के लोग भोजन और स्वतंत्रता के भूखे हैं। मानवाधिकारों के साथ ही ईरान की संपत्तियां लूटी जा रही हैं, बदलाव का समय आ गया है। ठीक ऐसा ही सुर ईरान के पूर्व शासक शाह मोहम्मद रजा पहलवी के पुत्र शाह रेजा पहलवी ने भी मिलाया है। रेजा ने कहा है कि मौजूदा इस्लामी गणराय ढह रहा है और अपने मूल ईरान को हासिल करने का समय आ गया है। रेजा पहलवी जनता से सड़कों पर उतरकर राष्ट्रीय क्रांति में भाग लेने का आह्वान लगातार कर रहे हैं। यहां यह जानना जरूरी है कि अमेरिका में रह रहे शाह रेजा की महत्ता क्या है? और उनके पिता शाह मोहम्मद रजा पहलवी को ईरान की सत्ता कैसे मिली थी। 1951 में नेशनल फ्रंट के उम्मीदवार और पेशे से वकील मोसद्देक लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए और प्रधानमंत्री बने, वे बड़े साहसी नेता थे। उस समय ईरान का तेल उद्योग ब्रिटेन की कंपनियां नियंत्रित करती थीं और सारा मुनाफा खा जाती थीं। मोसद्देक ने साहसिक फैसला लिया और तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया। पश्चिमी ताकतों का खफा होना लाजमी था। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी एमआई 6 और अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए ने ऐसी चाल चली कि 1953 में ईरान में तख्तापलट हो गया और पश्चिमी ताकतों ने शाह मोहम्मद रजा पहलवी को सत्ता सौंप दी जिनका खानदान पहले शासन में था। शाह ने ईरानी तेल का बड़ा हिस्सा अमेरिकी कंपनियों को दे दिया और यह सब कोई कही-सुनी बातें नहीं हैं। खुद सीआईए ने 2013 में अधिकृत तौर पर स्वीकार किया था कि 1953 के तख्तापलट में उसकी भूमिका थी। वैसे यहां इस बात का उल्लेख करना जरूरी है कि शाह के जमाने में ईरान ने खूब तरक्की की।

गिग-वर्कर्स की परेशानियों को समझना होगा

बेहद कम मेहनताने, कंपनी मालिकों के दबाव व ग्राहकों की उपेक्षा झेलते गिग वर्कर्स ने नये साल की पूर्व संध्या पर हड़ताल करके अपनी बदहाली को ही उजागर किया है। संवेदनशील कार्य परिस्थितियों और नौकरी की असुरक्षा के चलते गिग-वर्कर्स हड़ताल पर थे। हालांकि, नये साल पर काम के दबाव व पूरी तरह संगठित न होने के कारण इनकी हड़ताल का कुछ ही इलाकों में असर देखा गया। पूरे देश में सामान की आपूर्ति बाधित हुई हो,ऐसी कोई खबर नहीं मिली। गिग वर्करों की समस्या यह है कि वे जिन कंपनियों के लिए काम करते हैं, उनके वे कर्मचारी नहीं माने जाते। गिग-वर्कर्स की प्रमुख मांग है कि उनके काम का बेहतर भुगतान हो और उनके लिये बेहतर कामकाजी परिस्थितियां बनायी जाएं। उनकी इस हड़ताल ने इन मुद्दों पर देश का ध्यान खींचा है। गिग वर्कर्स यूनियनों का दावा है कि 31 दिसंबर को देशभर में 2 लाख से ज्यादा डिलीवरी राइडर्स ने इस हड़ताल में हिस्सा लिया। गिग वर्कर्स ऐसे व्यक्ति होते हैं जो नौ पांच की पक्की नौकरी के बजाय अस्थायी, लचीले समय अवधि वाले या फ्रीलांसर के रूप में काम करते हैं। जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट आदि जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के डिलीवरी पार्टनर्स या ओला, उबर जैसे कैब प्लेटफॉर्म के लिए काम करने वाले लोग गिग वर्कर्स ही कहलाते हैं। इन्हें हर काम के लिए अलग-अलग पेमेंट मिलता है। ये लोग कंपनी के पक्के कर्मचारी नहीं होते। इसलिए इन्हें नियमित वेतन, भत्ते, या अन्य कर्मचारी लाभ (जैसे पेंशन, छुट्टी) नहीं देना पड़ता है। ऐसे वर्कर्स जितना काम करते हैं, उतना मेहनताना मिलता है। भारत की गिग इकॉनमी में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, वित्त वर्ष 2024-25 तक लगभग 12 मिलियन गिग श्रमिकों का अनुमान है, जो सत्र 2020-21 में लगभग 7.7 मिलियन था। भारत की गिग इकॉनमी श्रम बाज़ार का एक प्रमुख हिस्सा बनकर उभरी है। बीते दिनों नववर्ष की पूर्व संध्या पर ऐप-आधारित डिलीवरी और परिवहन क्षेत्र से जुड़े हज़ारों श्रमिकों द्वारा की गई राष्ट्रव्यापी हड़ताल ने 'सुविधा आधारित अर्थव्यवस्था' के पीछे छिपी कठोर वास्तविकताओं को स्पष्ट रूप से उजागर किया है। यह विरोध इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि गिग श्रमिक भारत के शहरी दैनिक सेवाओं के लिए कितने महत्वपूर्ण बन चुके हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि गिग वर्कर्स कई गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिनमें आय की अनिश्चितता, नौकरी की असुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा का अभाव, और एल्गोरिदम आधारित दबाव प्रमुख है, जिससे उन्हें कम वेतन और कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, और इन पर तत्काल सरकारी नियमन और बेहतर कार्य परिस्थितियों की ज़रूरत है, जैसा कि हालिया हड़तालों से पता चला है, ताकि उनका शोषण रुके और उन्हें न्याय मिले। पिछले दिनों आप के राघव चड्ढा और राजद के मनोज कुमार झा जैसे सांसदों ने गिग वर्कर्स के शोषण का मुद्दा संसद में उठाया था। निस्संदेह, देश की गिग अर्थव्यवस्था ने रोजगार सृजन में अपनी क्षमता साबित की है। गिग वर्करों की समस्याएं इसलिए और बढ़ गई हैं, क्योंकि दस मिनट में भी सामान की डिलीवरी करने का चलन जोर पकड़ गया है। इस चलन पर फिर से विचार होना चाहिए, क्योंकि इससे गिग वर्करों के साथ दुर्घटनाएं होने का जोखिम बढ़ गया है। इस पर भी ध्यान दिया जाए कि सामान की डिलीवरी के लिए बैटरी चालित दोपहिया वाहनों का ही उपयोग हो। यह भी समय की मांग है कि गिग वर्करों के साथ असंगठित क्षेत्र के अन्य सभी कामगारों के हित की भी चिंता की जाए। यह ठीक नहीं कि लाखों अस्थायी कामगार सामाजिक सुरक्षा के दायरे से बाहर हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि गिग इकॉनमी आज तीव्र विस्तार और श्रम न्याय की तात्कालिक आवश्यकता के बीच एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। गिग वर्कर्स की कमाई अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर निर्भर है। ग्राहक के घर से रेस्टोरेंट की दूरी के आधार पर इनकी कमाई तय होती है। इस संबंध में पीएआईजीएएम और पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय द्वारा किए गए शोध के आंकड़े कहते हैं, लगभग 50 फीसदी डिलीवरी कर्मचारी प्रतिदिन 201-600 रुपये कमाते हैं, जबकि लगभग 43 फीसदी कैब-आधारित गिग वर्कर रोजाना 500 रुपये से कम कमाते हैं। निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र की अनदेखी नहीं की जा सकती। लेकिन फिलहाल स्थिति यह है कि मेहनताने में कटौती, जरा सी चूक पर आर्थिक दंड तथा समय से पहले पहुंचाने के दबाव से गिग-वर्कर्स त्रस्त हैं। मुश्किल परिस्थितियों में काम करते रहने के बावजूद ये कामगार हड़ताल में बड़ी संख्या में भाग नहीं ले पाये। दरअसल, प्लेटफॉर्म अकसर प्रोत्साहन और अतिरिक्त वेतन के जरिये श्रमिकों के विरोध प्रदर्शन को दबा देते हैं। नीति आयोग के वर्ष 2024 के एक सर्वेक्षण ने खुलासा किया कि 90 फीसदी गिग श्रमिकों के पास बचत नहीं है। प्लेटफॉर्म के कुछ व्यवहार जैसे छुट्टी लेने वाले कर्मियों को डिस्कनेक्ट करना, उनकी आय की अस्थिरता को और बढ़ा देते हैं। हड़ताल की धमकी के जवाब में, कुछ एग्रीगेटर्स ने क्रिसमस और वर्षांत के दौरान प्रोत्साहन भुगतान बढ़ा दिए। निश्चित रूप से गिग-वर्कर्स का लगातार 14 घंटे काम करने के बावजूद सात-आठ सौ रुपये कमाना और दुर्घटना बीमा से वंचित रखना, इस व्यवस्था की उन खामियों की ओर भी इशारा करता है, जिन्हें केवल फौरी लालच या प्रोत्साहन से ठीक नहीं किया जा सकता। ऐसे में हालिया श्रम सुधारों का महत्व बढ़ जाता है। जिसमें पहली बार, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को कानून के तहत औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया है। एग्रीगेटर के टर्नओवर का एक से दो फीसदी सामाजिक सुरक्षा कोष में अनिवार्य योगदान और आधार से जुड़े सार्वभौमिक खाता नंबर को कानूनी मान्यता की दिशा में एक लंबे समय से प्रतीक्षित बदलाव का संकेत देते हैं। लेकिन बात तब बनेगी, जब इस प्रस्ताव के प्रावधानों को सही तरह लागू करने में सफलता मिलेगी।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2019/08863)

कोर्ट ने दुष्कर्म आरोपी को किया दोषमुक्त

फतेहपुर।

अपर जिला सत्र एवं न्यायाधीश/एफ0टी0सी0(सी0ए0डब्लू0)न्यायालय संख्या-1 अशोक कुमार-12 ने दुष्कर्म के मामले को सुना और बचाव पक्ष दलील एवं उच्च न्यायालय के आदेश को आधार मानते हुए आरोपी को दोषमुक्त किया और दुष्कर्म के फर्जी मुकदमें पर वादी मुकदमा/पीड़िता के पिता के विरुद्ध कार्यवाई करने का आदेश दिया। विद्वान अधिवक्ता मोहम्मद तुफैल व बिलाल खान ने संयुक्त रूप से बताया कि थरियांव थाना क्षेत्र के ग्राम नौबस्ता निवासी कैलास के पुत्र सचिन पर 30 नवम्बर 2020 की शाम करीब 6 बजे वादी रमेश ने अपनी पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले जाने का आरोप लगाया। वादी की तहरीर पर 12 फरवरी 2021 को थाना मलवां में धारा 366 आईपीसी के तहत सचिन कुमार आदि के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। बयान पीड़िता 161 व 164 सीआरपीसी एवं साक्ष्य संकलित करने के पश्चात धारा 363, 366 व 376 आईपीसी में आरोप पत्र सचिन कुमार विरुद्ध दाखिल किया गया। आगे बताया कि अभियोजन ने इस सत्र परीक्षण में 4 गवाह पेश किये। बयानों के उपरान्त 5 जनवरी 2026 को दोनों विद्वान अधिवक्ताओं ने आरोपी के पक्ष में दलीलें पेश की। दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट नं0-1 अशोक

कुमार-12 ने आरोपी सचिन (पूर्व में आरोपी सचिन कुमार की जमानत अरजी पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने यह उल्लेखित/निर्देशित किया था कि आये दिन न्यायालय के समक्ष इस प्रकार के मुकदमें आते हैं, जिनमें प्रारम्भ में धारा 376 एवं पॉक्सो एक्ट तथा एससी/ एसटी एक्ट में एक प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है, जिस पर विवेचना

फर्जी आरोप पर पीड़िता के पिता के विरुद्ध कार्यवाही करने का दिया आदेश

आये निर्णय से 376 के फर्जी मामलों पर लग सकेगी रोक और न्याय के प्रति लोगों में बढ़ेगा विश्वास

चलती है तथा पैसे एवं समय दोनों की बरबादी होती है।

इस प्रकार के मुकदमें में पीड़िता के घर वाले सरकार से धन भी प्राप्त करते है, किन्तु समय बीतने के बाद सत्र-परीक्षण प्रारम्भ होता है, तो वह पक्षों से मिल करके पक्षद्रोही हो जाते हैं, अथवा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं करते हैं। इस प्रकार से विवेचक एवं न्यायालय के समय एवं धन की बरबादी होती है। इस प्रकार का चलना रुकना चाहिए और जिसने भी ऐसी प्राथमिकी दर्ज कराई है, उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए।) को दोषमुक्त कर दिया। साथ ही साथी पी0डब्लू0-01 वादी मुकदमा/पीड़िता के पिता के विरुद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज कर धारा 383 बी0एन0एस0 की कार्यवाही के लिए नोटिस जारी करने के निर्देश दिये हैं। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं ने न्यायाधीश के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इस तरह की कार्यवाही से फर्जी 376 के मामलों पर रोक लगेगी और न्याय के प्रति लोगों में विश्वास बढ़ेगा।

कैंप के माध्यम से बिजली उपभोक्ताओं को किया गया जागरुक,कटे कनेक्शन

मेजा प्रयागराज।

पकरी सेवार के दलित बस्ती में बिजली विभाग ने एक कैंप लगाया, जहां उपभोक्ताओं को बिजली बिल जमा करने के लिए छूट योजना के बारे में जानकारी दी गई। जिन उपभोक्ताओं ने ओटीएस रसीद नहीं कटवाई थी, उनका कनेक्शन काट दिया गया, जिनमें सरोजा, लचिआ, फोटो और मीना शामिल हैं। इस दौरान राजेश कुमार, पंचम लाल बिंद, नीरज मिश्रा और प्रवीण कुमार आदि मौजूद रहे। यह कैंप बिजौरा पावर हाउस के कर्मचारियों द्वारा लगाया गया। बिजली विभाग द्वारा चलाए जा रहे जनसेवा अभियान का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी

जिन उपभोक्ताओं ने ओटीएस रसीद नहीं कटवाई थी, उनका कनेक्शन काट दिया गया, जिनमें सरोजा, लचिआ, फोटो और मीना शामिल हैं।

समस्याओं का समाधान करना और बिल जमा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। विभाग की इस पहल से उपभोक्ताओं को त्वरित राहत मिली है। छूट योजना के तहत, उपभोक्ताओं को बकाया बिलों पर सरचार्ज में छूट और मूल बिल पर 25ब की छूट दी जा रही है। यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए है जिन्होंने 31 मार्च, 2025 तक का भुगतान नहीं किया है।

एक भी पात्र मतदाता न छूटे, यही लोकतंत्र की असली जीत है: अब्दुल्ला शाहीमी

लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जागरूक नागरिकों से सहभागिता की अपील

फतेहपुर।

भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को और अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर-2026 प्रक्रिया के अंतर्गत ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी हो गई है।

इस पर समाजसेवी अब्दुल्ला शाहीमी ने जागरूक नागरिकों से अपील की है कि वे 'मैपिंग' और 'फॉर्म फिलिंग' की बारीकियों को समझें और इस अभियान को सफल बनाएं। अब्दुल्ला शाहीमी ने मैपिंग की प्रक्रिया को विस्तार से स्पष्ट करते हुए बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य आपके रिकॉर्ड का पुराने रिकॉर्ड से मिलान करना है।

मिलान का आधार यह रहा कि जब वोटर ने गणना फॉर्म भरा था, तब वोटर के विवरण को वर्ष 2003 की पुरानी एसआईआर वोटर लिस्ट से मिलाया गया। वंशावली मिलान के तहत यदि वोटर का नाम या वोटर के माता-पिता, यहाँ तक कि वोटर के दादा-दादी का नाम भी पुरानी 2003 की लिस्ट से

मैच हो गया, तो उसे 'मैप्ड' की श्रेणी में रखा गया है। यह वोटर की नागरिकता और पते की प्राचीनता को प्रमाणित करने का एक सशक्त तरीका है।

उन्होंने बताया कि अनमैप्ड का अर्थ यह है कि जिन लोगों का विवरण पुराने रिकॉर्ड में नहीं मिल पाया है-अर्थात जिनका नाम या उनके माता-पिता/दादा-दादी का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं था, उन्हें 'अनमैप्ड' श्रेणी में रखा गया है और नोटिस प्रक्रिया के तहत इन 8 प्रतिशत अनमैप्ड लोगों को नोटिस भेजकर जानकारी मांगी जाएगी, जिसे नोटिस मिलता है, उसे डरने की जरूरत नहीं है। यह केवल व्यक्ति के विवरण को पुख्ता करने की प्रक्रिया है। नोटिस मिलने पर 12 दस्तवैजों के विकल्पों में से कोई भी एक आईडी प्रूफ दिखाना होगा।

फॉर्म का सही उपयोग और आवेदन की प्रक्रिया का जिक्र करते हुए कहा कि मतदाता सूची में अपनी जगह सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम उपलब्ध कराए हैं। नया नाम जुड़वाने के लिए 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले फॉर्म 6 भरें। इसके अलावा, जो युवा 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष के हो रहे हैं, वे भी अग्रिम आवेदन दे सकते हैं। यदि ड्राफ्ट लिस्ट में वोटर के नाम, माता-पिता के नाम में कोई गलती है या पता बदल गया है, तो सुधार के लिए फार्म-8 भर सकते हैं। आवेदन के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन का तरीका अपनाया जा सकता है। बीएलओ के अलावा, तहसील कार्यालय जाकर भी फार्म जमा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि यूपी में 2.89 करोड़ नाम हटाये गये हैं, जो लगभग 18.70 प्रतिशत है। ड्राफ्ट लिस्ट से हटाये गये नामों में 46.23 लाख मृतक यानी 2.99 प्रतिशत, 2.17 करोड़ स्थानान्तरित व लापता मतलब 14.06 प्रतिशत और 25.47 लाख डुप्लीकेट यानी 1.65 प्रतिशत नाम हटाये गये हैं। अब्दुल्ला शाहीमी ने नवजवानों और राजनीतिक दलों से अपील की है कि सभी सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेन्ट यानी बीएलए अपने-अपने इलाकों में मुस्तैदी से काम करें। एएसडीआर सूची का अध्ययन करें और यह सुनिश्चित करें कि किसी भी सही वोटर का नाम बिना नोटिस दिए न काटा जाए। यदि नाम गायब है, तो तुरंत फॉर्म 6 भरवाएं। उन्होंने बताया कि दावा/आपत्ति की अन्तिम तिथि 6 फरवरी 2026 व फाइनल मतदाता सूची 6 मार्च 2026 को आयेगी।

मनरेगा का नाम बदलने पर सपाईयो ने जताया रोष

मुरादाबाद।

जिला समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक चक्कर की मिलक स्थित कार्यालय आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव ने की एवं संचालन जिला महासचिव फुरकान अली ने किया बैठक में जिले भर से सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए, जिससे माहौल पूरी तरह राजनीतिक ऊर्जा से भरा नजर आया। वक्ताओं ने कहा मनरेगा का नाम बदलने से क्या होगा। दरअसल ये मनरेगा को धीरे-धीरे खत्मकर गरीबों का रोजगार खत्म करने की भाजपा की गोपनीय साजिश है एक तरफ़ मनरेगा का बजट कम से कमतर करती जा रही है।

सही मायनों में मनरेगा का नाम बदलना ही नहीं बल्कि उसका 'राम-राम' करना ही भाजपा का लक्ष्य है। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव ने मिशन 2027 के लिए कमर कसने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को

संयम, अनुशासन और निरंतर सक्रियता के साथ काम करना होगा, ताकि प्रदेश में एक बार फिर समाजवादी सरकार बनाई जा सके। उन्होंने विशेष रूप से एसआईआर अभियान को लेकर सतर्क दृष्टि बनाए रखने पर जोर दिया और कहा कि हर स्तर पर निगरानी जरूरी है, जिससे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को समय रहते रोका जा सके। एसआईआर पर भाजपा की साजिश का आरोप लगाते हुये भाजपा पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि एसआईआर को लेकर रची गई साजिश को सपा कार्यकर्ताओं की मेहनत ने पहले चरण में ही नाकाम कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी आगे भी एकजुट रहकर सभी पात्र मतदाताओं के वोट की रक्षा के लिए संघर्ष करती रहेगी। बैठक में फुरकान अली,लाखन सिंह सैनी, अतहर हुसैन अंसारी, वेदप्रकाश सैनी, वसीम कुरैशी, धर्मेन्द्र यादव, आसकार पाशा, नौशाद पाशा,ईसुद्दीन

भाजपा पर तीखे हमले, संगठन को एकजुट रहने का आह्वान

नईमी, विकास चौधरी,वासु गुप्ता,नबी हसन सुनीता सिंह,आदित्य चौधरी, जहाँउल्ला खान, नबी हसन,प्रदीप यादव, योगेन्द्र यादव, नागभारती, प्रेमबाबू बाल्मीकि, नवीन यादव, लुकमान खान,तुषार रस्तोगी, संजीव चौधरी, सुरेंद्र शर्मा, मोईनुद्दीन अतिकुरहमान, गौरव चौहान जिगरी मलिक,राकेश राठी, राजेश्वरी यादव, गोविन्द प्रजापति, नन्हें सिंह, दीव्यांशु सागर, जयकुमार प्रजापति, हिमांशु सैनी, शंकर लाल सैनी, सरदार पाल, बालकिशन शर्मा,अशोक सैनी, सुशील यादव, वजीद मलिक,प्रवीन सैनी भूरा कुरैशी, शारिक कुरैशी, रशीद मलिक चिराग अग्रवाल आरिफ सैफी, अवनीश यादव,कायमुद्दीन सैफी इंद्रपाल यादव, भूरा मलिक, ईस अहमद, अकबर अली, गुल अहमद,विजयपाल सिंह इस्तियाक सैफी आदि प्रमुख थे।

कोहरे में हुआ हादसा, तीन दोस्तों की मौत, खाना खाकर घर लौट रहे थे दोस्त, अज्ञात वाहन ने रौंदी बाइक

मुरादाबाद। ठाकुरद्वारा क्षेत्र में बाइक से घर लौट रहे तीन दोस्तों को मंगलवार देर रात घने कोहरे में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस घायलों को निजी अस्पताल में लेकर पहुंची। जहां चिकित्सक ने देखते ही ओमकार, राकेश और ऋषिपाल को मृत घोषित कर दिया। मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से वाहन का पता लगाने में जुटी है। कोतवाली ठाकुरद्वारा क्षेत्र के गांव दलपत निवासी ओमकार, राकेश और ऋषिपाल तीनों दोस्त थे। अक्सर गांव में साथ रहते थे। मंगलवार की शाम तीनों ने बाहर खाना खाने का मन बना लिया। तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर ठाकुरद्वारा पहुंच गए। यहां पर खाना खाने के बाद देर रात तीनों वापस लौट रहे थे। उस समय घना कोहरा छाया हुआ था। कुछ दूर तक का भी दिखाई नहीं दे रहा था। बाइक की रफ्तार कम ही थी। जैसे ही तीनों गांव जसपुर मार्ग पर आरा मशीन के पास घने कोहरे के कारण सामने से आए अज्ञात वाहन ने सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि तीनों सड़क पर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। तीनों को ठाकुरद्वारा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां चिकित्सक ने देखते ही तीनों को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर परिजन पहुंच गए। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के बाद तीनों शव गांव में बुधवार की शाम पहुंचे। गांव के ही तीन दोस्तों की मृत्यु से सभी का रो-रोकर बुरा हाल था। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि घना कोहरा होने के चलते हादसा हुआ है। वाहन का अभी तक पता नहीं चला है। अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई हे। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के माध्यम से पुलिस वाहन का पता लगा रही है।

दिल्ली प्रदूषण मामले में फर्जीवाड़े का आरोप, आप का बीजेपी पर तीखा हमला- क्या लोगों के सांसों की कीमत नहीं?

नई दिल्ली। पिछले चार महीने से जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर दिल्ली की आक्रोशित जनता मंगलवार को आम आदमी पार्टी के साथ सड़क पर उतर आई और भाजपा सरकार के नकारेपन को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन कर नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी, दिल्ली प्रदेश के संयोजक सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में दिल्लीवालों ने कहा कि अब उन्हें सरकार से कोई उम्मीद नहीं बची है। इसलिए सरकार फर्जीवाड़ा बंद कर एक्यूआई पर गंभीरता से काम करे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार एक्यूआई डेटा में फर्जीवाड़ा कर पूरी दुनिया में भारत की छवि खराब कर रही है। अगर सदन में दिल्ली के प्रदूषण पर चर्चा हो गई, तो पूरी दुनिया के सामने भाजपा सरकार एक्सपोज हो जाएगी। इसलिए वह सदन में चर्चा करने से भाग रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली को भाजपा सरकार से कोई उम्मीद नहीं है कि वे प्रदूषण कम करेंगे और ना ही हमें इनसे कोई उम्मीद है। इसलिए हम सरकार से सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कम से कम फर्जीवाड़ा बंद कर दिया जाए। पूरी दुनिया के देशों की एजेंसी दिल्ली में हैं। अमेरिकन एंबेसी ने अपना एक्यूआई मॉनिटर लगा रखा है, जिसका स्टेशन 400 एक्यूआई दिखाता है, जबकि सरकार का स्टेशन 300 दिखाता है। जिस वजह से वे हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और पूरी दुनिया में भारत की छवि भी खराब हो रही है कि यह सरकार एक्यूआई मॉनिटरिंग तक में फर्जीवाड़ा कर रही है। जैसे ही प्रदूषण बढ़ता है, मॉनिटरिंग स्टेशनों को स्विचऑफ कर दिया जाता है और उन पर पानी का छिड़काव करके नकली डाटा बनाया जाता है। सौरभ भारद्वाज का यह भी कहना है कि भाजपा सरकार से यमुना साफ नहीं हुई, इनके नेताओं ने यमुना का पानी पीने का नाटक किया और सब झूठ दिखाया। जिसके बाद अब इनके पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि उन्हें अब 4 साल चाहिए, यह फर्जीवाड़ा क्यों किया जा रहा है? आम आदमी पार्टी या किसी ने इनसे नहीं कहा था कि यमुना साफ कर दो। हमने कहा कि जैसा है वैसा छोड़ दो, जब आप की सरकार आएगी तो हम संभाल लेंगे, इसे और खराब मत करें। इसलिए आज हम सिर्फ यह कहने आए हैं कि यह फर्जीवाड़ा बंद हो और कम से कम सच्चा डाटा दिखाया जाए। विधानसभा सत्र पर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा सरकार चर्चा से भाग रही है। सरकार को लगता है कि अगर प्रदूषण पर चर्चा हो गई, तो वे पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाएंगे। उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वे फांसीघर या पुरानी सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा करने को तैयार बैठे हैं, लेकिन प्रदूषण पर नहीं। इसलिए, भाजपा ने संसद में भी प्रदूषण पर चर्चा नहीं की। विधानसभा सत्र के पहले दिन ही आप विधायकों के मुख्य वक्ता कुलदीप कुमार, संजीव झा, जरनैल सिंह सहित चार आप विधायकों को सदन से निकाल दिया गया था और विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें कोई चेतावनी भी नहीं दी और न ही उन्हें अपनी बात कहने का मौका दिया बल्कि आते ही तीन-तीन दिन के लिए बाहर कर दिया। अगर ऐसे ही करना था तो सदन बुलाने की क्या जरूरत थी, अपने घर पर ही पंचायत कर लेते और फॉक्सनाट रिलीज कर देते। यह नौटंकी करने की क्या जरूरत थी? सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार के आते ही स्कूलों ने 20 से 80 फीसद तक फीस बढ़ा दी। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री आशीष सूद एक भी ऐसे स्कूल का नाम बता दें जिसकी फीस उन्होंने वापस करवाई हो। वे सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं।

राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान को लेकर पीएम को घेरा

प्रधानमंत्री की लीडरशिप पर उठाए गंभीर सवाल

नई दिल्ली।

■ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर की गई टिप्पणियों की पृष्ठभूमि में बुधवार को कटाक्ष करते हुए कहा कि "फर्क समझो, सर जी।"

विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला और उन पर दबाव में सरेंडर करने का आरोप लगाया। गांधी की यह टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के एक दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने हाउस लक्जमबर्ग स्ट्रीट में बोलते हुए दावा किया था कि पीएम मोदी ने उनसे मिलने का समय मांगा था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर की गई टिप्पणियों की पृष्ठभूमि में बुधवार को कटाक्ष करते हुए कहा कि ''फर्क समझो, सर जी।'' लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने पिछले साल जून में कांग्रेस के 'संगठन सृजन अभियान' से संबंधित एक कार्यक्रम में दिए गए अपने भाषण का एक अंश साझा किया, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी, ट्रंप के एक फोन से उनके सामने झुक गए तथा ''नरेन्द्र, सरेंडर'' कर गए। उस भाषण में राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि कांग्रेस तथा उसके नेताओं ने महाशक्तियों के सामने कभी 'सरेंडर' नहीं किया, लेकिन थोड़े से दबाव के आगे झुक जाना ही भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मूल स्वभाव है। कांग्रेस नेता ने बुधवार को अपने इस भाषण से संबंधित वीडियो 'एक्स' पर साझा करते हुए पोस्ट किया, ''फर्क समझो, सर जी।'' दरअसल, ट्रंप ने भारत पर लगाए गए 50 प्रतिशत के टैरिफ (शुल्क) को लेकर हाल के दिनों में कई ऐसी टिप्पणियां की हैं जो सरकार को असहज करने वाली हैं। सरकार की तरफ से फिलहाल इन टिप्पणियों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी ट्रंप की टिप्पणियों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष किया। उन्होंने ट्रंप के वक्तव्य का वीडियो साझा करते हुए 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''नमस्ते ट्रंप से लेकर हाउडी मोदी तक, 'डोनाल्ड भाई' और अब यह (सर)। आगे क्या?'' अमेरिकी राष्ट्रपति ने मंगलवार को कहा कि रूसी तेल खरीदने पर अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए शुल्क (टैरिफ) के कारण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उनसे 'ज्यादा खुश नहीं हैं।' ट्रंप ने 'हाउस जीओपी सदस्य रिट्रीट' में अपने संबोधन में यह भी दावा किया, ''प्रधानमंत्री मोदी मुझसे मिलने आए और बोले, ''श्रीमान, क्या मैं आपसे मिल सकता हूं?' मैंने कहा, ''जी हां।

28 जनवरी से शुरू हो सकता है बजट सत्र, वित्त मंत्री 1 फरवरी को पेश करेंगी आम बजट

नई दिल्ली। केंद्र सरकार एक फरवरी को आम बजट पेश कर सकती है। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति की बुधवार को बैठक हुई। बैठक में संसद के आगामी बजट सत्र की तारीखों का प्रस्ताव रखा गया।राजनीतिक मामलों पर कैबिनेट समिति ने संसद के बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी से करने और 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करने का प्रस्ताव रखा है। सूत्रों के अनुसार, इन तारीखों पर अभी अंतिम फैसला लिया जाना बाकी है और जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा हो सकती है।

दो तारीखों पर चर्चा

बजट सत्र दो हिस्सों में आयोजित किया जाता है। पहले और दूसरे हिस्से के बीच अवकाश रखा जाता है, ताकि संसदीय स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों की जांच कर सकें। सूत्रों ने बताया कि बैठक में बजट सत्र की शुरुआत के लिए 28 जनवरी और 31 जनवरी, दो संभावित तारीखों पर चर्चा हुई, जिनमें से किसी एक पर अंतिम निर्णय जल्द लिया जाएगा। आम तौर पर संसद का बजट सत्र जनवरी के आखिरी सप्ताह में ही शुरू होता है। माना जा रहा है कि 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण को सदन के पटल पर रखा जाएगा। इसके अगले चरण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी।

निर्मला सीतारमण 9वीं बार बजट पेश करेंगी

केंद्रीय बजट कई वर्षों से 1 फरवरी को पेश किया जा रहा है। इस साल 1 फरवरी को रविवार है और इस बात की पूरी संभावना है कि सरकार वित्तीय प्रक्रियाओं में निश्चितता बनाए रखने के लिए केंद्रीय बजट पेश करने की तारीख नहीं बदलेगी। भारत में लंबे समय तक केंद्रीय बजट 28 फरवरी को पेश किया जाता रहा। साल 2017 में मोदी सरकार ने इस परंपरा को बदलते हुए बजट पेश करने की तारीख 1 फरवरी कर दी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को लगातार 9वीं बार बजट पेश करेंगी।

............मुख्य बिंदु............

निर्मला सीतारमण नौ लगातार बजट पेश करने वाली भारत की पहली वित्त मंत्री बनेंगी।

वह पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड के करीब पहुंच जाएंगी, जिन्होंने कुल 10 बजट पेश किए थे।

मोरारजी देसाई ने 1959-64 के बीच छह और 1967-69 के बीच चार बजट प्रस्तुत किए थे।

हालिया वित्त मंत्रियों में पी. चिदंबरम ने नौ और प्रणब मुखर्जी ने आठ बजट पेश किए थे।

निर्मला सीतारमण 2019 में भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनीं।

सुकमा में नक्सलवाद को बड़ा झटका, 65 लाख के इनामी 13 समेत 26 नक्सलियों ने किया सरेंडर

रायपुर। दक्षिण छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियानों को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को सुकमा जिले में 26 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, जिनमें से 13 पर कुल 65 लाख रुपये का इनाम था। यह आत्मसमर्पण राज्य सरकार की पूना मार्गेम पहल के तहत हुआ, जिसका उद्देश्य सशस्त्र कार्यकर्ताओं को उग्रवाद से दूर करके सामाजिक पुनर्एकीकरण की ओर मार्गदर्शन करना है। सुकमा के पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण ने बताया कि इस समूह में सात महिलाएं शामिल थीं, जिन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस के अनुसार, आत्मसमर्पण करने वाले कैडर प्रतिबंधित नक्सली संगठन की विभिन्न इकाइयों से जुड़े थे।

रूसी तेल पर बढ़ा विवाद, डोनाल्ड ट्रंप बोले- हमारे कड़े टैरिफ से पीएम मोदी खुश नहीं हैं

नई दिल्ली।

वॉशिंगटन में एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और अमेरिका के बीच मौजूदा व्यापार तनावों को लेकर एक बार फिर बयान दिया है। बातों-बातों में ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे ज्यादा खुश नहीं हैं, जिसकी वजह भारत पर लगाए गए भारी अमेरिकी टैरिफ हैं।

बता दें कि हाउस रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर रिट्रीट को संबोधित करते हुए ट्रंप ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिलने आए थे और दोनों के रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन मौजूदा हालात में असहजता है। ट्रंप के मुताबिक, भारत अब अमेरिका द्वारा लगाए गए ऊंचे टैरिफ चुका रहा है क्योंकि वह रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर वॉशिंगटन की अपेक्षाओं के मुताबिक पूरी तरह आगे नहीं बढ़ पाया है। गौरतलब है कि ट्रंप प्रशासन ने भारतीय सामानों पर कुल 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगाया है, जिसमें से 25 प्रतिशत शुल्क विशेष रूप से रूस से तेल आयात से जोड़ा गया है। मौजूद जानकारी के अनुसार, अमेरिका का आरोप है कि भारत सस्ता रूसी कच्चा तेल खरीदकर अप्रत्यक्ष रूप से रूस की आर्थिक मदद कर रहा है, जिसे ट्रंप ने बार-बार सार्वजनिक मंचों पर उठाया है। अपने भाषण में ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत ने हाल के महीनों में रूस से तेल आयात में कुछ हद तक कटौती की है और अमेरिका के साथ रखा सौदों पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने 68 अपाचे हेलीकॉप्टरों के ऑर्डर का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग जारी है और इसमें बदलाव की प्रक्रिया चल रही है। ट्रंप ने टैरिफ नीति का बचाव करते हुए यह दावा भी किया कि इन फैसलों से अमेरिका को आर्थिक रूप से फायदा हो रहा है। उनके अनुसार, सख्त शुल्क नीति के जरिये अमेरिका अपने व्यापारिक हितों की रक्षा कर रहा है और साझेदार देशों को अपने रुख पर पुनर्विचार के लिए मजबूर कर रहा है। हालांकि, भारत पहले ही ट्रंप के उस दावे को खारिज कर चुका है, जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे रूस से तेल खरीद बंद करने का आश्वासन दिया था। नई दिल्ली ने स्पष्ट किया था कि इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है और भारत अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा नीति तय करता है। गौरतलब है कि इसी बीच ट्रंप खुद को रूस-यूक्रेन युद्ध में संभावित मध्यस्थ के रूप में भी पेश कर रहे हैं। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से बातचीत का जिक्र किया है, हालांकि अब तक किसी ठोस समाधान की घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में भारत-अमेरिका व्यापार संबंध, रूस से तेल आयात और वैश्विक कूटनीति आने वाले समय में भी चर्चा का केंद्र बने रहने की संभावना है।

पीएम-पहलगाम हमले से जुड़े पोस्ट मामले में गायिका नेहा को अंतरिम सुरक्षा; वांगचुक केस पर भी सुनवाई

नई दिल्ली लोकप्रिय लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की।

यह आदेश उस एफआईआर के संबंध में आया है, जिसमें उन पर पीएम नरेंद्र मोदी और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर विवादित पोस्ट करने का आरोप है। न्यायमूर्ति जे.के. महेश्वरी और अतुल एस. चंदुरकर की बेंच ने कहा कि इस मामले में कोई बाध्यकारी कार्रवाई नहीं की जाएगी, जबकि राठौर की याचिका पर नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि राठौर को 19 जनवरी को जांच अधिकारी (IO) के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य है, और गैर-हाजिरी को गंभीरता से देखा जाएगा। राठौर के वकील ने कोर्ट में बताया कि उनकी मुवक्किल 3 जनवरी को पहले ही अधिकारियों के सामने उपस्थित हो चुकी हैं, जबकि राज्य पक्ष ने सहयोग न करने का आरोप लगाया। एफआईआर के अनुसार, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद, जिसमें 26 पर्यटक मारे गए थे, नेहा सिंह राठौर ने अपने एक्स (पूर्व ट्विटर) हैंडल पर एंटी-इंडिया पोस्ट प्रकाशित की। अभियोजन पक्ष का कहना है कि उस समय सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, और राठौर की पोस्ट से राष्ट्रीय अखंडता पर विपरीत प्रभाव और धर्म/जाति आधारित अपराध भड़काने की कोशिश हुई। इससे पहले, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि उनके एक्स पोस्ट प्रधानमंत्री के खिलाफ थे और पीएम के नाम का अपमानजनक तरीके से उपयोग किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि संविधान का अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह सार्वजनिक व्यवस्था, शील या नैतिकता के लिए उचित प्रतिबंधों के अधीन है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और राठौर को अंतरिम सुरक्षा आदेश के तहत गिरफ्तारी से बचाया हुआ है, जबकि जांच अधिकारी के समक्ष उनकी उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में आज बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर भी सुनवाई होनी है। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता और सुधारक सोनम वांगचुक की रिहाई की अपील वाले इस मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार और पीबी वराले की पीठ करेगी। बता दें कि UAPA कानून से जुड़ी धाराओं का सामना कर रहे वांगचुक फिलहाल राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद हैं। लद्दाख में हुई हिंसक झड़पों के बाद उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था।

अमित शाह तमिलनाडु में हिंदुओं की स्थिति को लेकर सरासर झूठ बोल रहे हैं : स्टालिन

नई दिल्ली।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह आरोप कि तमिलनाडु में हिंदुओं के अधिकार छीने जा रहे हैं, सरासर गलत है और उनके पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है।

मुख्यमंत्री ने यहां एक सरकारी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार सभी धर्मों के लोगों की आस्थाओं का सम्मान करती है और उनके धार्मिक अधिकारों की रक्षा करती है। उन्होंने कहा, ''तमिलनाडु जैसे राज्य में गृह मंत्री का यह आरोप कि हिंदुओं के अधिकार छीने जा रहे हैं, सरासर गलत और उनके पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। सच तो यह है कि राज्य में दंगे और विभाजन पैदा करने की मंशा रखने वालों की मानसिकता सफल नहीं हुई है। स्टालिन ने कहा कि भविष्य में भी इस तरह की घटना कभी नहीं होगी और ''हम इसे होने नहीं देंगे। सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) ने जोर देकर कहा, ''जब तक यह स्टालिन यहां है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अमित शाह ने रविवार को तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में एक जनसभा के दौरान द्रमुक पर राज्य में हिंदू धर्म और हिंदुओं की भावनाओं को लगातार अपमानित करने का आरोप लगाया था। केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता ने हिंदुओं पर हुए 'अत्याचारों' को लेकर स्टालिन सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदू पूजा-पाठ के तरीकों का 'अपमान किया जा रहा है और दावा किया कि अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजा के दौरान राज्य में 'अघोषित कर्फ्यू लगा दिया गया था। शाह ने कहा, ''उनके (द्रमुक के) वरिष्ठ नेता सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया कहते हैं। हिंदू शोभायात्राओं और विसर्जन (हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियों के विसर्जन) पर रोक लगा दी गई है। मैं स्टालिन से कहना चाहता हूं कि आपने हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार करके संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन किया है।

फर्जी खातों और टेरर फंडिंग के नेटवर्क पर जम्मू-कश्मीर पुलिस का कड़ा प्रहार! साइबर आतंकी मामले की जांच के तहत 22 जगहों पर रेड

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बुधवार को साइबर आतंकी मामले की जांच के तहत घाटी में कई स्थानों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर पुलिस की खुफिया शाखा (सीआईके) ने फर्जी खातों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की है, पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी और आतंकी वित्तपोषण को बढ़ावा देने वाले ऐसे खातों पर शिकंजा कस दिया है। उन्होंने बताया कि साइबर आतंकी मामले की जांच के तहत सीआईके ने कश्मीर घाटी में 22 स्थानों पर छापेमारी की, जिनमें श्रीनगर शहर के 15 स्थान शामिल हैं। कोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद किया गया यह ऑपरेशन कई जिलों, श्रीनगर, बडगाम, शोपियां और कुलगाम तक फैला हुआ था, जो सामान्य डिजिटल लेन-देन की आड़ में चल रहे एक गुप्त मनी-म्यूल नेटवर्क को खत्म करने के लिए पूरी घाटी में किए जा रहे प्रयास का संकेत देता है। जांचकर्ताओं ने संदिग्ध फर्जी बैंक खातों के एक नेटवर्क को निशाना बनाया, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन घोटालों से मिले पैसे

को ठिकाने लगाने और अवैध फंड को आतंकी नेटवर्क तक पहुंचाने के लिए किया जाता था। छापों के दौरान, अधिकारियों ने मोबाइल फोन, लैपटॉप और स्टोरेज डिवाइस सहित डिजिटल डिवाइस, साथ ही वित्तीय दस्तावेज जब्त किए, जिनके बारे में माना जाता है कि उनमें नेटवर्क के संचालन से संबंधित महत्वपूर्ण सबूत हैं। यह कार्रवाई सीआईके के टेरर फाइनेंसिंग और भर्ती मॉड्यूल को खत्म करने के तेज प्रयासों का हिस्सा है। इससे पहले, 16 दिसंबर, 2025 को, सीआईके ने सात जिलों, श्रीनगर, पुलवामा, बारामूला, कुलगाम, शोपियां, बडगाम और अनंतनाग में 12 जगहों पर छापे मारे थे, ताकि आतंकवाद के ऑनलाइन महिमामंडन पर केंद्रित एक आतंकी भर्ती मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया जा सके। जांचकर्ताओं ने उन व्यक्तियों को भी निशाना बनाया है जिन पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए मानवाधिकार वकालत प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने का संदेह है। यह नवीनतम ऑपरेशन हाइब्रिड खतरों पर सीआईके के बढ़ते फोकस को दिखाता है जो साइबर अपराध को आतंकवाद के साथ मिलाते हैं, जो जम्मू और कश्मीर में बढ़ते डिजिटल कट्टरपंथ के बीच एक बढ़ती चिंता का विषय है।

अंकिता की हत्या के समय वे उत्तराखंड में थे ही नहीं- दुष्यंत कुमार गौतम को सीएम धामी की क्लीन चिट

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज भाजपा के महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम को क्लीन चिट देते हुए कहा कि अंकिता भंडारी की हत्या के समय वह उत्तराखंड में नहीं थे. इससे पहले, पार्टी मामलों के प्रदेश प्रभारी गौतम ने पूर्व विधायक सुरेश राठौड़, उनकी कथित पत्नी उर्मिला सनावर के खिलाफ देहरादून के डालनवाला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है. गौतम ने डालनवाला थाने के साथ ही अपना शिकायती पत्र देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह और प्रदेश के पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ को भी सौंपा. अपनी शिकायत में गौतम ने राठौड़ और सनावर पर विपक्षी दलों के साथ मिलकर उनके विरूद्ध गहरी साजिश करने का आरोप लगाया है. दूसरी ओर, धामी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस प्रकरण में केवल एक ऑडियो में बोले गए नाम को लेकर पूरे प्रदेश का माहौल खराब करने का षडयंत्र रचा गया जबकि गौतम 10 से 20 सितंबर 2022 के दौरान प्रदेश में आए ही नहीं थे . उन्होंने कहा, दिल्ली में हुई प्रेस वार्ता में हमारे प्रभारी जी (गौतम) का नाम लिया गया. पुलिस ने भी सत्यापित कर लिया कि 10 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक उनका उत्तराखंड में आना ही नहीं हुआ. मुख्यमंत्री ने कहा कि गौतम के सोशल मीडिया तथा फेसबुक पर भी उनका इस संबंध में पूरा रिकॉर्ड है . गौरतलब है कि सनावर द्वारा हाल में सोशल मीडिया पर जारी अपने वीडियो और अपनी और राठौड़ की कथित बातचीत के ऑडियो में आरोप लगाया गया है कि अंकिता हत्याकांड में वीआईपी भाजपा नेता गट्टू है. एक अन्य वीडियो में सनावर ने गट्टू की पहचान भी उजागर कर दी जिससे प्रदेश में सियासी तूफान आ गया. कांग्रेस सहित विपक्षी राजनीतिक एवं सामाजिक संगठन प्रदेश भर में वीआईपी के खुलासे के लिए हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं.

पीएम मोदी ने नेतन्याहू से की बातचीत, दोनों ने और अधिक दृढ़ता के साथ आतंक से लड़ने का संकल्प लिया

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके इजराइली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने आतंकवाद से और अधिक दृढ़ता के साथ लड़ने के अपने साझा संकल्प की पुष्टि की। उन्होंने कहा, ''अपने मित्र प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात करके और उन्हें तथा इजराइल के लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं देकर मुझे खुशी हुई।'' उन्होंने कहा, ''हमने आने वाले वर्ष में भारत-इजराइल रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की।'' मोदी ने कहा कि उन्होंने क्षेत्रीय हालात पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।